05/06/25 अधिवक्ता श्री वादी
द्वारा वादिये अधिवक्ता प्रस्तुत प्रा० पत्र
O-8-R-1 CPC के तथ्यानुसार जवाब
दावा प्रस्तुत करने की निर्धारित अवधि
व्यतित हो चुकी है। प्रा० पत्र स्वीकार
किया जाकर प्रति. सं० 02 का जवाब
तलब किया जावे। जिस पर प्रति. सं०
02 के अधिवक्ता ने जवाब तलब के
कथन किये की प्रकरण के प्रति. सं. 1 व 2
ने आपत्ति पत्र O-7-R-1 CPC प्रस्तुत
किया हुआ है जिसके निर्णय उपरान्त
ही जवाब दावा प्रस्तुत किया जाता है। न्यायालय
के विचारार्थ पत्रावली जवाब हेतु नियत
होने पर किसी भी पक्ष की सहमति के
बाधित नहीं है अतः प्रा० पत्र O-8-R-1 CPC
निरस्त किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया
गया जिससे स्पष्ट है कि पूर्व के प्रतिवादीगण
के जवाब प्रस्तुत करते हैं, परन्तु अवसर दिये
जा चुके हैं फिर भी सही तथ्यों को सामने
लाने के लिये जवाब दावा पत्र आवश्यक है अतः
वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायहित में
खारिज किया जाता है। पत्रावली अग्रिम
नियमानुसार जवाब दावा पत्र की रिकॉर्ड पर
लिया जाता है। [illegible] पत्रावली वादी
अधिवक्ता को दिनांक 06/05 को दिनांक
जवाब दावा पत्र हेतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:23:08 IST
Reason: SelfAttested